

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]
No. 178]

दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2018/भाद्र 7, 1940
DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018/BHADRA 7, 1940

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 607
[N.C.T.D. No. 607

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

लोक निर्माण विभाग एवं आवास
अधिसूचना

दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

सं. फा. 4(1)/वि./पार्ट-II/लो.नि.वि./आ.-II/2009/11900-06.-मौलिक नियमावली के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.- (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) (संशोधन) नियमावली, 2018 कहा जायेगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. नियम 3 का संशोधन.- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 के नियम 3 में आवासों के आबंटन की पात्रता संबंधी तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

आवास का टाइप	जिस वर्ष आबंटन किया गया है, उस वर्ष के प्रथम दिन को जिसकी ग्रेड पे निम्न प्रकार है उस अधिकारी की श्रेणी।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)
I	1300 /-रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये, 1650 रुपये तथा 1800/-रुपये	1
II	1900 रुपये, 2000 रुपये, 2400 तथा 2800 रुपये	2, 3, 4, 5
III	4200 रुपये, 4600 रुपये तथा 4800/- रुपये	6, 7, 8
IV	5400 रुपये से 6600/-रुपये	9, 10, 11
V	7600 रुपये, 8700 रुपये तथा 8900 रुपये	12, 13, 13-ए
VI	10,000 रुपये तथा ऊपर	14 से 18

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

बी.आर. सिंह, आईएएस, विशेष सचिव (लोक निर्माण विभाग)

**PUBLIC WORKS DEPARTMENT AND HOUSING
NOTIFICATION**

Delhi, the 28th August, 2018

F.4(1)(Misc./P-II/PWD)/A-II/2009/11900-06.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1977, as following, namely:-

- Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Government of National Capital Territory of Delhi allotment of Government Residences (General Pool) (Amendment) Rules, 2018.
(ii) They shall come in to force on the date of their publication in Delhi Gazette.
- Amendment of rule 3.**—In the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1977, in rule 3, for the table for entitlement of Allotment of Residences, the following table shall be substituted, namely:—

Type of Residences	Category of officer whose Grade pay as on the 1 st day of the Allotment year in which the allotment is made is as below.	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)
I	Rs. 1300, Rs. 1400, Rs. 1600, Rs. 1650 and Rs. 1800	1
II	Rs. 1900, Rs. 2000, Rs. 2400 and Rs. 2800	2,3,4,5,
III	Rs. 4200, Rs. 4600 and Rs. 4800	6,7,8,
IV	Rs. 5400 to Rs. 6600	9,10,11,
V	Rs. 7600, Rs. 8700 and Rs. 8900	12,13,13-A
VI	Rs. 10,000 and above	14 to 18

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
B. R. SINGH, IAS/Spl. Secy. (PWD)